जीएसटी दर कटौती से नहीं बढ़ेगा बोझ

वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 10.6 लाख करोड़

नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू, कीमतें घटेंगी

कोलकाता, 19 सितंबर.रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल ही में किए गए बदलाव से सरकार पर कोई खास राजकोषीय बोझ नहीं पड़ेगा. रेटिंग एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने दर कटौती की वजह से अल्पावधि में सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपये के शुद्ध नुकसान का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह 10.6 लाख करोड़ रुपये रहा था.

रिपोर्ट कहती है कि कुल जीएसटी संग्रह के अनुपात में यह राजस्व नुकसान बहुत अधिक नहीं है. जीएसटी परिषद ने हाल ही में कर दरों को तर्कसंगत बनाते हुए पांच और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में रखने का फैसला किया है. यह संशोधन 22 सितंबर से प्रभावी होने वाला है जिससे कई उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी.

क्रिसिल ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने से अधिक वस्तुएं और सेवाएं औपचारिक कर दायरे में आ सकेंगी, जिससे मध्यम अवधि में कर वसूली में मजबूती मिलेगी. पहले 70-75 प्रतिशत जीएसटी राजस्व 18 प्रतिशत स्लैब से आता था, जबकि 12 प्रतिशत स्लैब से केवल पांच-छह प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब से 13-15 प्रतिशत राजस्व मिलता था.रिपोर्ट के मुताबिक, 12 प्रतिशत स्लैब में शामिल वस्तुओं पर कर घटाने से राजस्व को कोई खास नुकसान नहीं होगा. वहीं, मोबाइल शुल्क जैसी तेजी से बढ़ती सेवाओं पर दरें पहले की ही तरह हैं.

> वहीं, ई-कॉमर्स डिलीवरी जैसी नई सेवाओं को जीएसटी दायरे में शामिल कर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है .क्रिसिल ने कहा कि कर में कटौती से उपभोक्ताओं की वास्तविक आय बढ़ेगी, जिससे मांग और जीएसटी संग्रह दोनों को प्रोत्साहन मिल सकता है . हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादक कर में बदलाव का लाभ उपभोक्ताओं को किस हद तक पहुंचाते हैं .

सोना-चांदी के भाव में जोरदार उछाल

घरेलू वायदा बाजार में सोना 1,09,624 रुपये प्रति 10 ग्राम

नई दिल्ली, 19 सितंबर. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के फैसले और मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते शुक्रवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तीन दिनों की गिरावट थम गई. इस दौरान यह कीमती धातु 572 रुपये के उछाल के साथ 1,09,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 572 रुपये या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,09,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. इसमें 12,685 लॉट के लिए कारोबार हुआ. इसी तरह, दिसंबर अनुबंध के लिए भाव 516 रुपये या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 1,10,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.सोने की कीमतों में तेजी के साथ चांदी की कीमतों में भी उछाल आया. दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 1,668 रुपये या 1.31 प्रतिशत बढ़कर 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. इसमें 17.935 लॉट का कारोबार हुआ. एमसीएक्स पर अगले साल मार्च का चांदी अनुबंध भी 1,573 रुपये या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 1,30,224 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया.अंतरराष्ट्रीय बाजार में, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 13.40 डॉलर या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 3,691.70 डॉलर प्रति औंस हो गया.

भारत एशिया-प्रशांत में सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस

2024 में कुल नए ऑफिस लीजिंग में 15 प्रतिशत योगदान

बेंगलुरु बना देश की फ्लेक्स कैपिटल, 30 प्रतिशत हिस्सा

नई दिल्ली, 19 सितंबर. भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस बाजार बनकर उभरा है. शुक्रवार को कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही तक भारत के शीर्ष आठ शहरों में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का कुल स्टॉक 79.7 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया है.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत का फ्लेक्सिबल ऑफिस स्टॉक 2025 के अंत तक 85 MSF और 2026 तक 100 MSF को पार कर जाएगा. यह वृद्धि उन उद्यमों की लगातार मांग से प्रेरित है जो लचीलापन और लागत दक्षता चाहते हैं. 2020 के बाद से, मांग में लगभग छह गुना बढ़ोतरी हुई है. फ्लेक्सिबल स्पेस ने 2024 में कुल नए ऑफिस लीजिंग में 15 प्रतिशत का योगदान दिया, जो इसकी मुख्यधारा में बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है. पिछले तीन वर्षों (2022-2024) में, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदाताओं ने 33.5 MSF की जगह लीज पर ली, जो 500,000 से अधिक सीटों के बराबर है. 2020 में 4.3 MSF से बढ़कर 2024 में 15.4 MSF होने के साथ, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस अब एक मुख्य कार्यस्थल समाधान बन गया है.

> रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 72 प्रतिशत फ्लेक्सिबल सीट अंतरराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा ली गई, जबकि स्टार्टअप का योगदान 28 प्रतिशत रहा. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (लसीह्र) और नई कंपनियों के भारत में प्रवेश से इस बदलाव में और तेजी आई है .बेंगलुरु देश की फ्लेक्स कैपिटल बना हुआ है, जिसके पास राष्ट्रीय फ्लेक्सिबल ऑफिस स्टॉक का 30 प्रतिशत हिस्सा है और यह सालाना एक-तिहाई एंटरप्राइज लेनदेन का केंद्र है . दिल्ली-एनसीआर, पुणे और हैदराबाद अन्य प्रमुख केंद्र हैं . यह चलन अब टीयर-द्ध्व शहरों जैसे चंडीगढ़, जयपुर, कोच्चि और विशाखापत्तनम में भी फैल रहा है .

कीटों और मौसम की मार से मिलेगी राहत

डिजिटल सलाह, सेंसर व ड्रोन से सटीक फसल प्रबंधन

आईपीएम से कीट व रोगों की शुरुआती पहचान और नियंत्रण

Dhanuka Agritech Limited

नई दिल्ली, 19 सितंबर. भारत में अक्टूबर में धान की कटाई नज़दीक आ रही है, और किसान जलवायु परिवर्तन व कीटों की वजह से ज्यादा चिंता महसूस कर रहे हैं. बढ़ता तापमान, अनिश्चित मॉनसून और ज्यादा नमी ऐसे हालात बना रहे हैं जिससे कीटों का हमला और फफूंदीजनित रोग बढ़ रहे हैं.

यह पैदावार और अनाज की गुणवत्ता दोनों के लिए खतरा है. अच्छी आमदनी वाली फसल पाने के लिए किसानों को जलवायु अनुकूल तरीके और असरदार फसल सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है. धानुका एग्रीटेक में ?हमारा उद्देश्य है कि इस अहम समय पर हम किसानों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों से सशक्त करें ताकि वे अपनी फसल की रक्षा कर सकें.

अनियमित बारिश से धान के खेतों में कभी पानी भर जाता है तो कभी सूखा पड़ता है. ऐसे में ड्रिप सिंचाई, सही मेढ़ और लेजर लैंड लेवलिंग से पानी की बचत, नमी का संतुलन और कीटों का प्रकोप कम किया जा सकता है. ये उपाय फसल की सेहत और पैदावार दोनों को बेहतर बनाते हैं.

डिजिटल सलाह, सेंसर निगरानी और ड्रोन छिड़काव से किसान समय और संसाधन बचाते हुए सटीक समाधान अपना सकते हैं. धानुका बायोपेस्टिसाइड्स, सिस्टमिक कीटनाशक और प्रोटेक्टिव फफूंदनाशी को मिट्टी सुधारकों के साथ मिलाकर सुरक्षित और असरदार फसल सुरक्षा प्रदान करता है.

तेज़ी से बढ़ी स्मार्टफोन की मांग

नई दिल्ली, 19 सितंबर. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जिसमें कुल 6 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट हुई है. इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 35 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ एप्पल सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन ने इस ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई.

इस साल 2.91% गिरावट से रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा

नई दिल्ली, , 19 सितंबर. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के फैसले के बावजूद शुक्रवार को भारतीय रुपया शुरुआती नुकसान से उबरकर डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 88.10 पर बंद हुआ. इस साल अब तक, रुपये में 2.91 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे यह एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बन गया है.

फेड के नीतिगत फैसले और

सीएफएक्स कॉन्क्लेव संपन्न

शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों ने भाग लिया

नई दिल्ली, 19 सितंबर . फिनएक्स द्वारा दिल्ली में आयोजित सीएफएक्स कॉन्क्लेव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ . प्रतिभा को सशक्त बनाना, कल का निर्माण करना थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) क्षेत्र में कौशल विकास और प्रतिभा निर्माण पर केंद्रित था .कॉन्क्लेव में शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें सोमैया विद्याविहार विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ . राजशेखरन पिल्लै और मीराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन स्वरूप मोहंती जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे . कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक विशेषज्ञ पैनल चर्चा थी, जिसमें बदलती कॉर्पोरेट अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यबल में कौशल अंतर को कम करने पर विचार-विमर्श किया गया .फिनएक्स के सीईओ हिमांशु व्यापक ने इस अवसर पर कहा कि बीएफएसआई क्षेत्र में रोजगार की खाई को पाटने के लिए शिक्षा, कॉर्पोरेट और सीएसआर नेतृत्व का सामूहिक प्रयास आवश्यक है .

बिजली परियोजना की आधारशिला जल्द

नई दिल्ली, 19 सितंबर. देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से राजस्थान के बांसवाड़ा में 28000 मेगावाट की एक बड़ी परमाणु बिजली परियोजना की आधारशिला 25 सितंबर को रखी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह में इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे.

चार इकाइयों में 700-700 मेगावाट क्षमता स्थापित होगी

पहली इकाई 2031 तक शुरू होने की उम्मीद

यह परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) द्वारा विकसित की जाएगी, जो न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) और एनटीपीसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है. इस परियोजना में 700-700 मेगावाट क्षमता की चार इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें से पहली इकाई के 2031 तक चालू होने की उम्मीद है. इस परियोजना पर लगभग 42,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यह देश में विकसित दबावयुक्त गुरुजल परमाणु-भट्ठी (प्रेशराइज्ड हैवीवाटर एटोमिक रिएक्टर- पीएचडब्ल्यूआर) पर आधारित है.

चंद्रपुर में 100 युवाओं को मिला रोजगार का प्रशिक्षण

चंद्रपुर, महाराष्ट्र. 19 सितंबर, चंद्रपुर के सिपेट में एक विशेष समारोह में 100 युवाओं को उनके कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया.

यह कार्यक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत आयोजित किया गया था. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्लास्टिक निर्माण में व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित था. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है. समापन समारोह में पावरग्रिड के भद्रावती सबस्टेशन के उप महाप्रबंधक प्रीतम सदाशिव बोरकर ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा अब प्लास्टिक उद्योग में अपना भविष्य बना सकते हैं.

राजनीति में भूराबाल की वापसी!

पटना. बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूराबाल शब्द चर्चा का केंद्र बन गया है. पूर्व सांसद आनंद मोहन ने हाल ही में बयान दिया कि भूराबाल तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी. इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई. विपक्षी दलों से लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेता तक इस पर तीखा हमला कर रहे हैं. सवाल यह उठता है कि आखिर चुनाव से पहले ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं और क्या इसका वास्तविक असर चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा? या यह केवल एक राजनीतिक रणनीति है?

भूराबाल शब्द और राजनीति- भूराबाल शब्द बिहार की राजनीति में नया नहीं है. इसका अर्थ है

भू = भूमिहार
रा = राजपूत
बा = ब्राह्मण
ल = कायस्थ (लाला)

यह चार जातियों का गठजोड़ राज्य के सवर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)

तीसरी मंजिल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्यालय के पास डाकघर, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर - 482001 (मध्य प्रदेश)
प्रकरण संख्याः RC 804/2019, कार्यालय ज्ञापन संख्या 1636/2018

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड
ई-नीलामी संख्या 248/2025

निम्नलिखित संपत्तियाँ वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा रुपये की वसूली हेतु बेची जाएँगी ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या 1636/2018 के तहत वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में आपके/उनके द्वारा देय 242,60,42,892.57 रुपये (दो सौ बयालीस करोड़ साठ लाख बयालीस हजार आठ सौ बानवे और सत्तावन पैसे मात्र) 10.12.2018 से 12.00% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित ब्याज और वसूली तक वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय लागत सहित।

ई-नीलामी की तिथि और समयः 29.10.2025, दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 13.00 बजे के बीच
बिक्री हेतु रखी गई संपत्तियों का विवरण

ए. फ्लैट/अपार्टमेंट संख्या 201, द्वितीय तल, "सुंदर रतन राज अपार्टमेंट्स", प्लॉट संख्या अ-23 पर निर्मित, 1120 वर्ग फुट का सुपरबिल्ट-अप क्षेत्रफल, सिलिकॉन सिटी, ग्राम-निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला-इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित; मेसर्स ओलंपियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में।
बी. फ्लैट/अपार्टमेंट संख्या 301, तृतीय तल, "सुंदर रतन राज अपार्टमेंट्स", प्लॉट संख्या अ-23 पर निर्मित, 1120 वर्ग फुट का सुपरबिल्ट-अप क्षेत्रफल, सिलिकॉन सिटी, ग्राम-निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला-इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित; मेसर्स ओलंपियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में।
सी. फ्लैट/अपार्टमेंट संख्या 302, तीसरी मंजिल, "सुंदर रतन राज अपार्टमेंट्स", प्लॉट संख्या अ-23 पर निर्मित, 1150 वर्ग फुट का सुपरबिल्ट-अप क्षेत्रफल, सिलिकॉन सिटी, गाँव-निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला-इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित; मेसर्स ओलंपियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में।
डी. फ्लैट/अपार्टमेंट संख्या 303, तीसरी मंजिल, "सुंदर रतन राज अपार्टमेंट्स", प्लॉट संख्या अ-23 पर निर्मित, 1020 वर्ग फुट का सुपरबिल्ट-अप क्षेत्रफल, सिलिकॉन सिटी, गाँव-निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला-इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित; मेसर्स ओलंपियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में।
अपसेट मूल्यः सभी संपत्तियों के लिए रू. 89,30,000.00 (केवल नवासी लाख तीस हजार रुपये) है;

बिक्री की शर्तेंः

1. इच्छुक बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com; हेल्पलाइन नंबरः 0124-4302020/21/22/23/24 पर संपर्क करें। ई-नीलामी में बोली लगाने में सहायता के लिए श्री मिथलेश कुमार से मोबाइल नंबरः 7080804466; ईमेल आईडीः mpcg@c1india.com या ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com पर संपर्क करें।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बोली प्रपत्र, विवरण, बिक्री के नियम व शर्तें जानने के लिए वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलियाँ केवल निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए, साथ ही बोली प्रपत्र के साथ पहचान दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करनी होगी (विस्तृत नियम व शर्तें देखें)। बोलीदाता को अपने स्वयं के स्रोतों (सरकारी कार्यालय) से शुद्धता, माप, भार आदि के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, बाद में डीआरटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. अपसेट मूल्य का 10% अर्थात अग्रिम राशि/बोली मूल्य रु. 8,93,000.00 (आठ लाख तिरानवे हजार रुपये मात्र); अग्रिम राशि के रूप में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या 5692799461 में जमा किया जाना चाहिए, जो कि रिकवरी अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर के नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धोबीघाट शाखा, जबलपुर (आईएफएससी कोडः सीबीआईएन0281618) में हो और बोली फॉर्म में प्रेषण का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. बोलियाँ 27.10.2025 को 17.00 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।
6. ऑनलाइन जमा किए गए बोली प्रपत्र की एक प्रति, उसके संलग्नक सहित, वसूली अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर, 797-II शांतिकुंज, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर को यथाशीघ्र भेजी जानी चाहिए।
7. ऑनलाइन बोली, बोलियों में से सबसे ऊँची बोली से शुरू होगी और प्रत्येक बोली के लिए न्यूनतम वृद्धि 90,000.00 (केवल नब्बे हजार) होगी। नीलामी विंडो बंद होने से पहले प्राप्त बोली की स्थिति में, सिस्टम द्वारा नीलामी समय में 5 मिनट का स्वतः विस्तार किया जाएगा।
8. असफल बोलीदाताओं की अग्रिम जमा राशि उसी खाते में वापस कर दी जाएगी जिससे भुगतान किया गया है और इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा अग्रिम जमा राशि जमा करने के बाद, वे तब तक अग्रिम राशि नहीं निकाल सकते जब तक कि उन्हें "असफल बोलीदाता" घोषित नहीं कर दिया जाता, अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. नीचे दी गई अनुसूची में सूचीबद्ध अचल संपत्ति के मामले में, यदि बिक्री उसके पक्ष में होती है, तो सफल बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन बोली राशि (ईएमडी घटाकर) का 25% आरटीजीएस/एनईएफटी/धन हस्तांतरण के माध्यम से क्रम संख्या 4 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में जमा करना होगा और ऐसा जमा न करने पर, संपत्ति को तुरंत पुनः बेच दिया जाएगा और ईएमडी के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का शेष 75%, बिक्री राशि का 1% पाउंडेज और प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से 10/- रुपये के साथ, नीलामी के 15 दिनों के भीतर क्रम संख्या 4 में उल्लिखित खाता संख्या 5692799461 में जमा करना होगा। आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयीन कार्यदिवस पर भुगतान किया जा सकता है। उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
11. संपत्ति "जैसी है जहाँ है" और बिना किसी शिकायत के बेची जाएगी।
12. संपत्तियों का निरीक्षण 14.10.2025 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच किया जा सकता है।
13. संपत्तियाँ निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएँगी।
14. वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
15. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे श्रीमती पी. चक्रवर्ती, मुख्य प्रबंधक, संपर्क क्रमांक 9831598598 के पास उपलब्ध शीर्षक विलेख की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति के विवरण और भार आदि की पहचान और सत्यता की जाँच स्वयं अपने स्रोतों से भी करें। डीआरटी सत्यता आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
16. ई-नीलामी से संबंधित विवरण मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com; हेल्पलाइन क्रमांक 0124-4302020/21/22/23/24 से प्राप्त किए जा सकते हैं। ई-नीलामी में बोली लगाने वाले की सहायता के लिए श्री मिथलेश कुमार से मोबाइल क्रमांक 7080804466; ई-मेल आईडीः-mpcg@c1india.com या ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com पर संपर्क करें।
17. यदि किसी संपत्ति का विवरण आवश्यक हो, तो श्रीमती पी. चक्रवर्ती, मुख्य प्रबंधक, संपर्क संख्या 9831598598 से प्राप्त किया जा सकता है।
18. बोलीदाता अपनी पसंद के कार्यालयों/स्थानों से बोली लगाकर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश, बिजली गुल आदि के लिए डीआरटी/बैंक/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होंगे।

स्थानः जबलपुर,
दिनांकः 03.09.2025
मुहर
एसडी/-
(प्रीति देसाई)
वसूली अधिकारी

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) (नियम 8(6)

क्क्क्छ होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः- "हाउस नंबर 176, स्कीम नंबर 97, स्लाइस-4, नर्मदा स्क्वायर के पास, गोपुर स्क्वायर के बाद, इंदौर-452001" को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए इसे "जहाँ है जैसा है वैसा है और बिना किसी सहारे के" आधार पर बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
1. . श्री सुशील कुमार 2. श्री अरविन्द कुमार कुशवाह 3. श्री शिवबहोर कुशवाह 4. श्रीमती बेला देवी (प्रोस्पेक्ट नं. IL10237531)	14-फरवरी-2025 रु. 2204293/- (बाईस लाख चार हजार दो सौ तेरानवे मात्र)	प्लॉट संख्या M-39, सुपर सिटी कॉलोनी, ग्राम महूगांव, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453331 वाली संपत्ति का वह समस्त भाग। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफलः 900.00, 900.00	07-मई-2025	रु. 18,23,000/- (अठारह लाख तेईस हजार मात्र)
	बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)		कुल बकाया दिनांक 08-सितंबर-2025 तक रु. 24,08,345/- (चौबीस लाख आठ हजार तीन सौ पैंतालीस मात्र)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,82,300/- (एक लाख व्यासी हजार तीन सौ मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
03-अक्टूबर-2025 1100 बजे -1400 बजे	06-अक्टूबर-2025 शाम 5 बजे तक।	08-अक्टूबर-2025 11:00 बजे-13:00 बजे।

भुगतान विधिः- अग्रिम राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount. पर लॉग इन करें।
महत्वपूर्ण जानकारीः यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है। भौतिक कब्जा SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा-14 के आदेश प्राप्त होने के बाद और भौतिक कब्जा प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। बोलीदाता नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा।

नियम एवं शर्तेंः-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उपनियम (1) के तहत 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित अदा करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- इन्दौर, दिनांकः 20.09.2025 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।**

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNHLAGA000062134 (पुराना) 50300000612511 (नया) (आगर मालवा शाखा) श्री बजरंग दांगी उपनाम श्री बजरन लाल दांगी (उधारकर्ता) श्रीमती ममता डांगी उपनाम श्रीमती मंटा डांग, श्रीमती भंवरी बाई डांगी (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 6,17,390/- (02-सितंबर-25 तक)	संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन मकान हो क्रमांक 19, क्षेत्रफल 187.36 वर्ग मीटर (2016 वर्ग फुट), वार्ड क्रमांक 13, सर्वे क्रमांक 19, पटवारी हल्का क्रमांक 02, ग्राम किशनपुरा, पोस्ट डोंगरगांव, विकास खंड सोयतकला, तहसील - सुसनेर, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश 465445 में स्थित, सीमाः उत्तरः छीतरलाल जी डांगी की भूमि, दक्षिणः आम रास्ता, पूर्वः छीतरलाल जी डांगी की भूमि, पश्चिमः आम रास्ता
2.	(ऋण खाता संख्याः LNHEINE000020518 (पुराना) 51100000538013 (नया) LNHLINE000020062 (पुराना) 51200000706891 (नया) (इंदौर शाखा) श्री चंद्रशेखर स्वामी (ऋणी) श्रीमती अंजलि स्वामी (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 17,25,060/- (02-सितंबर-25 तक)	भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, प्लॉट क्रमांक P-1 (500 वर्ग फुट अर्थात 46.46 वर्ग मीटर) और P-2 (500 वर्ग फुट अर्थात 46.46 वर्ग मीटर), कुल भूमि क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, सुपर सिटी विलेज, सर्वे क्रमांक 784/2, महूगांव नगर पंचायत, तहसील-महू (डॉ. अंबेडकर नगर), जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453441, सीमा इस प्रकार हैः प्लॉट क्रमांक P-1, उत्तरः कॉलोनी रोड, दक्षिणः प्लॉट क्रमांक P-2, पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट क्रमांक 0-1, सीमा इस प्रकार हैः प्लॉट क्रमांक P-2, उत्तरः प्लॉट क्रमांक P-1, दक्षिणः प्लॉट क्रमांक P-3, पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट क्रमांक 0-2
3.	(ऋण खाता संख्या LNHLNEE000030324 (पुराना) 51200000825092 (नया) (नीमच शाखा) श्री सुनील कुमार बोरीवाल (उधारकर्ता) श्रीमती किरण बोरीवाल (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 10,25,888/- (02-सितंबर-25 तक)	मकान क्रमांक 01, ब्लॉक-H, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, कीर्ति नगर विस्तार, नीमच, मध्य प्रदेश 458441, सीमा इस प्रकार हैः पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में खुली भूमि, उत्तर में विक्रेता की खुली भूमि और सड़क, दक्षिण में मकान क्रमांक 02

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 20-09-2025
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए